

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

आदेश

विभोय राज्यादेश संख्या-3572, दिनांक-29.12.2021 द्वारा बिहार के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास तथा मात्स्यिकी आधारभूत संरचना के विकास हेतु केन्द्रांश ₹24.4590 करोड़ (चौबीस करोड़ पैतालीस लाख नब्बे हजार) तथा राज्यांश ₹16.3060 करोड़ (सोलह करोड़ तीस लाख साठ हजार) अर्थात् कुल ₹40.7650 करोड़ (चालीस करोड़ छिहतर लाख पचास हजार) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा द्वितीय चरण (अतिरिक्त) के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में मुक्त की गई ₹12.2295 करोड़ (बारह करोड़ बाईस लाख पंचानबे हजार) तथा राज्य सरकार के मानुपातिक राज्यांश राशि ₹8.153 करोड़ (आठ करोड़ पन्द्रह लाख तीस हजार) अर्थात् कुल ₹20.38 करोड़ (बीस करोड़ अड़तीस लाख पच्चीस हजार) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

इस क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011) के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत द्वितीय किस्त के रूप में ₹6.11475 करोड़ (छः करोड़ ग्यारह लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ मात्र) प्रदान की गई है।

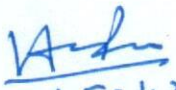
उपयुक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त ₹6.11475 करोड़ (छः करोड़ ग्यारह लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ मात्र) केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक राज्यांश ₹4.0765 करोड़ (चार करोड़ सात लाख पैंसठ हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात् कुल ₹10.19125 करोड़ (दस करोड़ उन्नीस लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष के तहत विकलन किया जायेगा :-

- 1.(i) **योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश राशि-** मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड-02-2405001010219 का विषय शीर्ष-0219.33.01-सब्सिडी एवं सहायक अनुदान गैर वेतन 0219.31.06 मद में उपबंधित केन्द्रांश राशि से व्यय किया जाएगा तथा **योजनान्तर्गत स्वीकृत राज्यांश राशि-** मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड 02-2405001010319 के विषय शीर्ष-0319.33.01-सब्सिडी एवं सहायक अनुदान गैर वेतन 0319.31.06 मद में उपबंधित राज्यांश राशि से व्यय किया जाएगा।
- (ii) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी- निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।
- (iii) योजनान्तर्गत उपबंधित राशि के अधीन स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि को मिलाकर राशि आवंटित (व्यय हेतु लिमिट राशि) की अंतरण/निकासी/व्यय किया जायेगा। इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि, PFMS Linked Single Nodal Agency (SNA) खाता विवरणी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
- (iv) निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा आवंटित राशि (व्यय हेतु लिमिट राशि) को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एक मुश्त निकासी कर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

- (PMMSY) के PFMS Linked Single Nodal Agency (SNA) से सम्बद्ध एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, खाता संख्या-50100445234504, आई0एफ0एस0सी0 कोड-HDFC0004234 में अंतरित/जमा कराया जायेगा तथा उक्त अंतरित/जमा राशि को सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) यथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य-कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) के PFMS Linked Zero Balance Subsidiary बैंक खाता में उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी यथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) द्वारा योजनान्तर्गत का व्यय हेतु लिमिट राशि का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत निहित शर्त एवं दिशानिर्देश के आलोक में लाभुक-मत्स्य कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत उनके आधार से जुड़े बैंक खाता में राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (v) वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-को0 प्र0/विविध-02/2020-7111 दिनांक 28.07.2022 के आलोक में बजट प्रावधानित राशि के अधीन इस केन्द्रीय प्रायोजित योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि को CFMS अन्तर्गत Bill Description-Fully Vouched Contingent Bill एवं Claim type Transfer to SNA के विपत्र के माध्यम से PFMS - Linked SNA बैंक खाता में हस्तांतरित किया जाएगा तथा वाउचर के रूप में स्वीकृत्यादेश की प्रति को संलग्न किया जाएगा।
- (vi) कोषागार से PFMS Linked Single Nodal Agency (SNA) बैंक खाता में निकासी/अंतरण के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्र संख्या-को0प्र0/विविध-02/2020 -7111, दिनांक-28.07.2022 पत्र द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश से इस योजनान्तर्गत निकासी/अंतरण किये जाने वाले राशि अर्थात् दित होगी।
- (vii) स्वीकृत/आवडित राशि के अन्तर्गत PFMS Linked Zero Balance Subsidiary बैंक खाता में उपलब्ध कराई गई व्यय हेतु लिमिट राशि के व्यय के पूर्व, संबंधित व्ययन पदाधिकारी पूर्ण संतुष्ट हो लेंगे तथा व्यय में किसी तरह की अनियमितता होने पर व्ययन पदाधिकारी इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
- (viii) कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) यथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर मत्स्य निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ix) इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (x) योजनान्तर्गत पुर्व में जिलों को संसूचित अवयवार, श्रेणीवार, जिलावार लक्ष्य की अनुमान्यता होगी तथा योजना का क्रियान्वयन 2024-25 तक किया जाएगा।
- (xi) योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु मत्स्य निदेशालय के पत्रांक म0यो0-17/2020-107, दिनांक 27 जनवरी, 2021 तथा म0यो0-17/2020 (खंड-1)-1337, दिनांक 8 जुलाई, 2022 द्वारा निर्गत क्रियान्वयन अनुदेश की अनुमान्यता होगी।
- (xii) योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार ही अनुदान की राशि देय होगा। विभिन्न अवयवों की इकाई लागत तथा देय अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसके अनुसार ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी अवयव की लागत योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होती है तो अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा।
- (xiii) योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है अथवा जिलावार लक्ष्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म0योजना-08/2021-313 दिनांक 02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत कर सकेंगे।

2. प्रस्ताव एवं आदेश प्रारूप में प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है। मत्स्य निदेशालय की संचिका सं०-म०/योजना PMMSY-09/2020(I) के पृष्ठ-70/टि०।
3. प्रस्ताव एवं आदेश प्रारूप में माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है। मत्स्य निदेशालय की संचिका सं०-म०/योजना PMMSY-09/2020(I) के पृष्ठ-70/टि०।
4. आदेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)41/2021 के पृष्ठ-48/टि०, डायरी सं०-537 एवं दिनांक-26.12.2023.
5. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

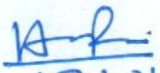

15-1-24

(हिमांशु कुमार राय)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 186 /पटना-15, दिनांक-...16.../...01.../2024.

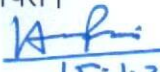
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले० एवं हक०) वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15-1-24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 186 /पटना-15, दिनांक-...16.../...01.../2024.

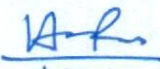
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


15-1-24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 186 /पटना-15, दिनांक-...16.../...01.../2024.

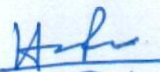
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15-1-24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 186 /पटना-15, दिनांक-...16.../...01.../2024.

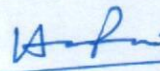
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15-1-24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 186 /पटना-15, दिनांक-...16.../...01.../2024.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।


15-1-24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 186 /पटना-15, दिनांक-.....16...../.....01...../2024.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित उप आयुक्त/संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15-1-24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 186 /पटना-15, दिनांक-.....16...../.....01...../2024.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15-1-24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 186 /पटना-15, दिनांक-.....16...../.....01...../2024.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।


15-1-24

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)41/2021- 186 /पटना-15, दिनांक-.....16...../.....01...../2024.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15-1-24

सरकार के विशेष सचिव

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मत्स्यविकास एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु वर्ष 2020-21 के द्वितीय चरण (अतिरिक्त) के द्वितीय किस्त के लिए वृहद, लघु एवं उपशीर्ष बजट विवरणी PFMS linked Single Nodal Agency (SNA) बैंक खाता विवरणी, कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची तथा निकासी/व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपन्न कोड	विषय शीर्ष	व्यय हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)	PFMS Linked Single Nodal Agency (SNA) के बैंक खाता की विवरणी			निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
(क)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0219-नीली क्रांति: समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पीएमएसएम0एस0वाई0) विपन्न कोड-02.2405001010219 (केन्द्रांश), पी0एम0एस0एस0 कोड- 3890	0219-33.01-सब्सिडी	529.725	बैंक का नाम	खाता सं०	IFSC CODE				
		0219-31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन	81.750							
		योग (क)-	611.475							
		(छ करोड़ ग्यारह लाख सैतालिस हजार पाँच सौ मात्र)								
(ख)	मांग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एस0एस0वाई0) विपन्न कोड-02.2405001010319 (राज्यांश), पी0एम0एस0एस0 कोड- 3890	0319-33.01-सब्सिडी	353.150	एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0	50100 445234504	HDFC0004234		निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना।	
		0319-31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन	54.500							
		योग (ख)-	407.650							
		(चार करोड़ सात लाख पैसठ हजार मात्र)								
		कुल योग (केन्द्रांश)- (क)	611.475							
		कुल योग (राज्यांश)- (ख)	407.650							
		महायोग (केन्द्रांश + राज्यांश)	1019.125							
		(दस करोड़ उन्नीस लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र)								

सरकार के विशेष सचिव

15.1.24

186
16/01/2024

अनुलग्नक-II

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनागत बिहार राज्य के लिए स्वीकृत अवयवों की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	विशय शीर्ष	कार्य अवयव का नाम	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	कुल राशि	केन्द्रांश (02-2405001010219)	राज्यांश (02-2405001010319)	लामुक का अंशदान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33.01-सब्सिडी	मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन (सं०)	6	25.00	150.00	42.00	28.00	80.00
2		नया तालाब का निर्माण (हे०)	100	7.00	700.00	210.00	140.00	350.00
3		रियरिंग तालाब का निर्माण (हे०)	100	7.00	700.00	210.00	140.00	350.00
4		उन्नत इनपुट योजना (हे०)	100	4.00	400.00	120.00	80.00	200.00
5		बाँयोफ्लोक तालाब का निर्माण (इकाई)	50	14.00	700.00	210.00	140.00	350.00
6		वृहत आकार के आर०ए०एस० का अधिष्ठापन (90 घन मी० का 8 टैंक/टैंक उत्पादन-40 टन/क्रॉप) (सं०)	10	50.00	500.00	150.00	100.00	250.00
7		मध्यम आकार के आर०ए०एस० का अधिष्ठापन (30 घन मी० का 6 टैंक/टैंक उत्पादन-10 टन/क्रॉप) (सं०)	10	25.00	250.00	75.00	50.00	125.00
8		लघु आकार के आर०ए०एस० का अधिष्ठापन (100 घन मी० का 1 टैंक) (सं०)	15	7.50	112.50	34.20	22.80	55.50
9		मत्स्य पालन हेतु लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन (4 मी० व्यास का 7 टैंक, ऊ० 1.5 मी०) (सं०)	30	7.50	225.00	67.50	45.00	112.50
10		मत्स्य पालन हेतु लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन (4 मी० व्यास का 25 टैंक, ऊ० 1.0 मी०) (सं०)	30	25.00	750.00	225.00	150.00	375.00
11		मत्स्य पालन हेतु लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन (4 मी० व्यास का 50 टैंक, ऊ० 1.0 मी०) (सं०)	30	50.00	1500.00	450.00	300.00	750.00
12		जिन्दा मछली बिक्रय केन्द्र का निर्माण (सं०)	5	20.00	100.00	31.20	20.80	48.00
13		लघु फीड मील (क्षमता 2 टन प्रतिदिन) (सं०)	10	30.00	300.00	90.00	60.00	150.00
14		मध्यम फीड मील (क्षमता 8 टन प्रतिदिन) (सं०)	3	100.00	300.00	84.00	56.00	160.00
15		बृहद फीड मील (क्षमता 20 टन प्रतिदिन) (सं०)	2	200.00	400.00	120.00	80.00	200.00
		योग (1-15)			7087.50	2118.90	1412.60	3556.00
16	31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	एक्वेटिक रेफरल लैब्स (सं०)	1	545.00	545.00	327.00	218.00	-
		कुल योग (1-16)			7632.50	2445.90	1630.60	3556.00

186

16/01/2024

[Signature]

15-1-24

सरकार के विशेष सचिव